

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 293/2017 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

चूकी देवी बनाम अमराराम वगैरा

पीठारीन अधिकारी - श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

प्रार्थनी वकील - श्री भाखराराम गोदार

निर्णय

दिनांक - 03.05.2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प सांवा में पेश हुई। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थनी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि सरहद मौजा हरचन्दाणियों की ढाणी, पटवार क्षेत्र सांवा, तहसील सेड़वा में खेत खसरा सं. 741/257 रकबा 17.12 बीघा, खसरा सं. 742/257 रकबा 08.00 बीघा स्थित है। प्रार्थनी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थनी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढों को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थनी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थनी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थनी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थनी की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थनी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थनी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थनी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थनी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थनी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा हरचन्दाणियों की ढाणी, पटवार क्षेत्र सांवा, तहसील सेड़वा में खेत खसरा सं. 741/257 रकबा 17.12 बीघा, खसरा सं. 742/257 रकबा 08.00 बीघा भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को रुपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना, मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। मौका कमीश्नर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थनी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फौसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प सांवा में

सुनाया गया।



(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2018/ 786
प्रार्थनी :-

1. चूकी देवी पत्नि विरधाराम
जाति विश्नोई, निवासी हरचंदाणियों की ढाणी
तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

दिनांक 8/5/18

विप्रार्थीगण:-

1. अमराराम पुत्र पोकरराम जाति विश्नोई
निवासी हरचंदाणियों की ढाणी
2. उर्स 3. मोमद 4. रहीम 5. कायम खां पि. मजना खां
6. रामतला 7. अरबाब 8. सावण 9. शेरखां 10. नजीर पि.
लतीफ खां 11. रहीमत पत्नि मोमदअली
12. कलीमूला पुत्र मोमदअली 13. वजादीन पुत्र
कलीमूला 14. जमालदीन पुत्र नसीर 15. मु. फातमा
बेवा ईशाक 16. अजीम पुत्र नबीबक्स 17. खातु पत्नि
नूरा 18. मियादाद पत्नि नूरा 19. मका पुत्री गुलहसन
जाति मुसलमान निवासी सांवा, तहसील सेड़वा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111.128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।
राजस्व आवेदन सं. 293/2017

दिनांक : 03.05.2018

आदेश

तहसीलदार सेडवा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेडवा, पटवार क्षेत्र सांवा के मौजा हरचंदाणियों की ढाणी के खेत खसरा सं. 741/257 रकबा 17.12 बीघा, खसरा सं. 742/257 रकबा 08.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेडवा को कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काशत में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

मौका कमिशनर को आवश्यकता होने पर सम्बंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। कमिशनर फीश प्रार्थनी मौके पर अदा करेंगे। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। प्रार्थनी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2018/ 787 & 790
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सेडवा
2. प्रार्थनी चूकी देवी
3. विप्रार्थीगण अमराराम वगैरा
3. थानाधिकारी पुलिस थाना चोहटन/बीजराड़/सेड़वा/धौरीमन्ना/बाखासर

(भूपेन्द्र कुमार यादव)

उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

दिनांक 8/5/18

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चौहटन
चौहटन